

प्रपत्र-19

परियोजना का नाम:-जनपद देहरादून के विकास खण्ड कालसी में Reliance 4G project for Laying of Optical Fibre Cable (OFC) along with road at Hill Side on NH - 123 (New 507) (Herbertpur - Nainbagh Road) from Km. 11.00 to Km. 44.00, SH - 20 (Kalsi - Makhti Road) from Km. 0.00 to Km. 29.00, NH - 707A (Chakrata - Lohari Road) from Km. 61.00 to Km. 93.00, (Total Km. 94.00, 0.9485 Ha.) तक मोटर मार्ग के किनारे ऑप्टिकल फाइबर केबिल बिछाने हेतु अपेक्षित आरक्षित, सिविल एवं सोयम वनभूमि एवं नापभूमि 0.9485 है० वन भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत गैर वानिकी कार्यों हेतु Reliance Jio Infocomm Ltd.को वन भूमि प्रत्यावर्तन की अनुमति दिये जाने का प्रस्ताव।

प्रभावित होने वाले वृक्षों का विवरण

रिक्त

ह०/-  
(प्रयोक्ता एजेन्सी)  
Tarit Mohan

ह०/-  
(राजि अधिकारी)

ह०/-  
प्रधानीय वनाधिकारी  
प्रभागीय वनाधिकारी  
चक्राता (देहरादून)

ह०/-  
उप-प्रधानीय वनाधिकारी  
चक्राता वन प्रभाग  
कालसी

प्रपत्र-23

परियोजना का नाम:-जनपद देहरादून के विकास खण्ड कालसी में Reliance 4G project for Laying of Optical Fibre Cable (OFC) along with road at Hill Side on NH - 123 (New 507) (Herbertpur - Nainbagh Road) from Km. 11.00 to Km. 44.00, SH - 20 (Kalsi - Makhti Road) from Km. 0.00 to Km. 29.00, NH - 707A (Chakrata - Lohari Road) from Km. 61.00 to Km. 93.00, (Total Km. 94.00, 0.9485 Ha.) तक मोटर मार्ग के किनारे ऑप्टिकल फाइबर केबिल बिछाने हेतु अपेक्षित आरक्षित, सिविल एवं सोयम वनभूमि एवं नापभूमि 0.9485 है० वन भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत गैर वानिकी कार्यों हेतु Reliance Jio Infocomm Ltd.को वन भूमि प्रत्यावर्तन की अनुमति दिये जाने का प्रस्ताव।

प्रस्तावित परियोजना में वृक्ष प्रभावित न होने की दशा में प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित परियोजना के निर्माण में कोई वृक्ष बाधित/प्रभावित होने निहित नहीं है।

ह०/-  
(प्रयोक्ता एजेन्सी)  
Tajul moham

ह०/-  
प्रभागीय वनाधिकारी  
चकराता वन प्रभाग  
कालसी

ह०/-  
प्रभागीय वनाधिकारी  
प्रभागीय वनाधिकारी  
चकराता देहरादून